कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2137 /आगरा/20517/2016, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 19 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : आगरा–बाह–कचौरा घाट मार्ग के किमी0 चैनेज 17.100 की दायीं पटरी पर **ग्राम–कुण्डोल** के खसरा सं0–1612 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0750028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/95/2016/एफसी/409, दि0 21.11.16
शासन का पत्रांक–भा0स0–247/14–2–2016–800(145)/2016, दि0 02.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को वापस प्रेषित करने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक–3727/14–1, दि0 06.04.2017 द्वारा बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त पत्र एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है, कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः प्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2137 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, आगरा।
3– टेरीटरी सेल्स मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।